



Neutral Citation No. - 2026:AHC:40302

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 5518 / 2026

महोदर

...आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी

आवेदक के लिए अधिवक्ता : कमल किशोर मिश्रा

विपक्षी के लिए अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय कक्ष संख्या -65

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री चंदन सिंह को सुना गया और अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

2. इस जमानत याचिका के माध्यम से, आवेदक-महोदर, मुकदमा संख्या 734/2025 अंतर्गत धारा 64(1) बीएनएस के तहत, पुलिस स्टेशन शिकंदरा, जिला आगरा में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक का नाम एफ.आई.आर. में दर्ज है। एफ.आई.आर. में पीड़िता के बेटे, जो वादी है, ने आरोप लगाया है कि दिनांक 11.10.2025 को आवेदक ने उसकी मां को मोबाइल फोन पर काम देने का लालच दिया था, जब वह आवेदक द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंची, तो आवेदक ने उसे नशीला ठंडा पेय पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसके बाद आवेदक ने उसके साथ बलात्कार किया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़िता ने भी आवेदक के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया है। पीड़िता ने आंतरिक चिकित्सा जांच से इनकार कर दिया है, जबकि पीड़िता के शरीर पर कोई बाहरी चोट नहीं पाई गई। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि पीड़िता के अनुसार उसकी उम्र 60 वर्ष है। आवेदक की उम्र भी 65 वर्ष है। उसके खिलाफ झूठे और निराधार आरोप लगाए गए हैं। वास्तव में ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई थी और आवेदक निर्दोष है और उसे दुर्भावनापूर्ण इरादे और गुप्त आशय से इस वाद में झूठा फंसाया गया है। इसके बाद उन्होंने यह तर्क दिया है कि आवेदक दिनांक 19.11.2025 से जेल में निरुद्ध है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया है कि एफ.आई.आर. में और साथ ही धारा 180 और 183 बी.एन.एस.एस. के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों में आवेदक के खिलाफ बलात्कार का विशिष्ट आरोप है, इसलिए आवेदक किसी भी प्रकार की रियायत का अधिकारी नहीं है।

5. बीएनएसएस की धारा 180 और 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयानों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पीड़िता ने एफ.आई.आर. में दर्ज आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का विशेष आरोप के विवरण को दोहराया है, इसलिए इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आवेदक अपराध में सक्रिय रूप से सम्मिलित था।

6. पक्षकारों की ओर से विद्वान अधिवक्ताओं की तर्कों, अपराध की गंभीरता, आरोपों की प्रकृति और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, और यह देखते हुए कि पीड़िता ने धारा 180 और 183 बीएनएसएस के तहत दर्ज अपने बयानों में एफ.आई.आर. के विवरण को दोहराया है और आवेदक के विरुद्ध बलात्कार का विशिष्ट आरोप लगाया है, वाद के गुण दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, जमानत का कोई वाद नहीं स्थापित होता है।

7. तदनुसार, आवेदक-महोदर की जमानत याचिका निरस्त की जाती है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

23 फरवरी, 2026

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण: “अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी क़ानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”